विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0022612

श्री के0पी0 राय (सेवानिवृत्त खाद्य निरीक्षक), — आवेदक
गली नं. 6, धनारे कॉलोनी,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

1. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

— अनावेदकगण

2. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 08.04.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जायेगा) के प्रकरण क्रमांक 428/2011 श्री के0पी0 राय विरूद्ध अधीक्षण अभियंता तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2012 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने विद्युत वितरण कम्पनी के वितरण केन्द्र डागीढाना, जिला नरसिंहपुर के सहायक यंत्री के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के आदेश दिनांक 17.01.2007 के अनुसार उसे बिजली का कनेक्शन दिया गया था । कास्तकारों द्वारा बिजली का भुगतान न करने के कारण ट्रांसफार्मर उठा लिया गया तथा बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे उसकी जमीन में बोई गई फसल सूख गई और उसे 2 लाख की क्षति हुई, उसे तत्काल सिंचाई करने के लिए बिजली प्रदाय की जाए । इसके अतिरिक्त उसे विद्युत खपत तथा अन्य किसी चीज

का भुगतान नहीं करना है । उसे विभाग से किसान राहत योजना का लाभ नहीं दिया गया है । अतः उसके खेत में लगे मीटर से नजदीक में खड़े बिजली के खंभे से जोड़ा जाए और जो सर्विस लाईन लगेगी वह उसके द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा, इस शिकायत पत्र की प्रतिलिपि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर को दी गई । फोरम ने इस शिकायत पत्र को दिनांक 10.08.11 को पंजीकृत किया गया था ।

3. आवेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में इस आशय का जवाब फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता आवेदक को 5 हार्स पावर का विद्युत कनेक्शन कृषि की सिंचाई के लिए मंजूर किया गया है । उसके द्वारा उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत की गई थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 764/06 था । इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17.01.2007 के पालन में वादी के परिसर में मीटर स्थापित किया गया था । बकाया राशि वसूली हेतु विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए जाने पर विद्युत बिल की राशि 3660/– रू. एवं सुरक्षा निधि की राशि 1000/– रू. का भुगतान वादी द्वारा 30.03.09 को किया गया है । प्रश्नगत ट्रांसफार्मर 2009 में फैल हुआ था । उपभोक्ताओं द्वारा माह दिसम्बर, 2009 में ट्रांसफार्मर बदलने हेतु 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान करने पर ट्रांसफार्मर बदला गया था । आवेदक उपभोक्ता द्वारा नजदीकी स्थापित ट्रांसफार्मर से बिना मीटर के विद्युत का उपयोग किए जाने पर औसत आकलित खपत देयक जारी किए गए हैं । उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान न करने पर मार्च में विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, जिसके कारण उसे कृषक राहत योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था । 30 मार्च, 2009 को देयक की राशि का भुगतान किए जाने पर पुनः उक्त कनेक्शन की विधि प्रारंभ की गई, उपभोक्ता का नया सेवा क्रमांक दिया गया, अभिलेख की जांच उपरान्त नियमानुसार कृषक योजना का लाभ 3997/– रू. का समायोजन कर पुनरीक्षित देयक राशि 11398/– रू. का जारी किया जा रहा है । उपभोक्ता ने मीटर नजदीक खंभे से लगाने, उक्त स्थल तक सर्विस लाईन उपलब्ध कराने तथा उसके खेत के चार खंभे उखाड़कर लगाने के लिए कहा है, परन्तु जिन विद्युत पोलों से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, उन्हें उखाड़कर शिफ्टिंग करने में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति हेतु उसे संबंधित वितरण केन्द्र में आवेदन पत्र पेश कर औपचारिकता पूर्ण करना होगा । माह अक्टूबर, 2011 में बकाया राशि उपभोक्ता को 11398/– रू. का देयक जारी किया गया है ।

4. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह आदेश दिया कि उपभोक्ता को कृषि कार्य हेतु प्रदत्त मीटर संयोजन क्रमांक 99–76–94–78413 (पुराना) एवं सर्विस क्रमांक 99–167312952 का दिनांक 30.02.09 को बकाया राशि का भुगतान प्राप्त होने पर नई आर–3 निर्मित कर बिलिंग प्रारम्भ की गई, परन्तु

अप्रैल, 2009 में संबंधित ट्रांसफार्मर फैल हो गया । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अध्याय 11 की कण्डिका 11.3 के अनुपालन में प्रतिवादी द्वारा ट्रांसफार्मर फैल होने से विद्युत उपलब्ध न कराए जाने के कारण नियमानुसार ऊर्जा प्रभार एवं अन्य प्रभार ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन की तिथि तक निरस्त किए जाते हैं तथा यह आदेश दिया गया कि उक्त निर्देश का पालन करते हुए बिलिंग पुनरीक्षित की जाए तथा उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए । यह भी आदेश दिया गया कि कृषक राहत योजना का लाभ उपभोक्ता को प्रदान किया जा चुका है ।

5. फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने प्रश्नगत अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि दिनांक 16.02.10 तथा 17.02.10 को उसने विद्युत वितरण केन्द्र के सहायक यंत्री को आवेदन दिए जाने के बाद भी विद्युत वितरण न किए जाने के कारण उसकी फसल सूख गई, जिससे उसे 2 लाख की क्षति हुई । विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा आवेदन किए जाने पर विद्युत प्रदान न किए जाने के कारण दिनांक 14..10.2010 को उसने पुनः आवेदन दिया था, परन्तु उसे बिजली प्रदाय नहीं की गई । अतः दिनांक 08.08.11 को उसने पुनः आवेदन दिया था । कार्यवाही न होने पर फोरम ने दिनांक 10.08.11 को उसकी शिकायत को पंजीबद्ध किया था । दिनांक 01.06.09 को उसके द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद भी किसान राहत योजना का लाभ नहीं दिया गया है । दिनांक 17.02.10, 14.10.10 एवं 08.08.11 को आवेदन देने के बाद भी उसके आवेदन के अनुसार विद्युत कनेक्शन नहीं जोड़ा गया । ट्रांसफार्मर फैल होने से विद्युत उपलब्ध न कराए जाने के कारण ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन की तिथि तक विद्युत ऊर्जा प्रभार को फोरम द्वारा भुगतान योग्य नहीं पाया गया था, परन्तु फोरम के आदेश के बाद भी उसे विद्युत उपलब्ध नहीं कराई जा रही है । उसे विद्युत उपलब्ध न होने के कारण 2009 से 2012 तक 2 लाख रू. प्रतिवर्ष के हिसाब से फसलों की क्षति हुई है, परन्तु फोरम ने उसे 8 लाख रू. की क्षति नहीं दिलाया है । फोरम ने यह मानने की भूल की है कि कृषक राहत योजना का लाभ उसे दिया जा चुका है । अतः उसने यह अनुतोष चाहा है कि उसे 2009 से 2012 तक 4 वर्षों तक फसलों की क्षति 2 लाख रू. प्रतिवर्ष के हिसाब से 8 लाख रू. दिलाए जाए, अविलंब विद्युत प्रदाय करने का आदेश दिया जाए, कृषक राहत योजना का लाभ उसे प्रदान किया जाए ।

6. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता के अभ्यावेदन का जवाब बिन्दुवार दिया गया है । उनके जवाब के अनुसार अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक ट्रांसफार्मर खराब होने की अवधि में विद्युत का उपयोग न किए जाने के कारण 4671/– रू. का जो देयक उपभोक्ता को दिया गया था । उसका समायोजन कर पुनरीक्षित देयक जारी किया गया है । विद्युत मण्डल द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार ट्रांसफार्मर से

संबंधित उपभोक्ता 100 प्रतिशत वाले हैं । यदि 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं हुई तो राज्य शासन की नीतिगत् निर्णय के अनुसार ऐसे ट्रांसफार्मर से विद्युत प्रदाय नहीं किया जाएगा । अतः इस स्थिति के कारण यदि उपभोक्ता के फसल की सिंचाई न होने से उसके फसलों की क्षति हुई है तो ऐसी क्षति की पूर्ति का कोई प्रावधान विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत प्रदाय संहिता 2004, उपभोक्ता अधिनियम 1986 में प्रावधान नहीं हैं । यह भी लेख किया गया कि उपभोक्ता को माह सितम्बर, 2011 का जो देयक जारी किया गया है वह भुगतान के योग्य है । फोरम के निर्णय दिनांक 18.01.2012 के अनुसार माह मार्च, 2012 का विद्युत देयक 19791/– रू. माह अप्रैल, 2009 से माह दिसम्बर, 2009 तक की राशि 4671/'–रू. का समायोजन कर पुनः 15080/– रू. का पुनरीक्षित देयक जारी किया गया है । फोरम के आदेश दिनांक 18.01.12 के पूर्व भी उपभोक्ता को किसान राहत योजना का लाभ 3967/– रू. दिया गया है, उपभोक्ता को नियमानुसार विद्युत देयक दिए गए है, नियमानुसार विद्युत प्रदाय किया गया है । संबंधित वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने पर उपभोक्ता की कृषि भूमि में कोई फसल नहीं पाई गई है । अतः उपभोक्ता कोई भी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

7. उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन के समर्थन में लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं ।

8. अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान आवेदक उपभोक्ता ने इस आशय का आवेदन पेश किया कि फोरम के आदेश दिनांक 18.01.12 के अनुसार उपभोक्ता को विद्युत विभाग को कोई रू. देने शेष नहीं था, ऐसी स्थिति में कृषक राशि 3967/– रू. का जो समायोजन किया जाना कहा जाता है, उसके अनुसार यदि उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा का प्रभार नहीं देना था, तब ऐसी राशि के समायोजन का औचित्य न होने से उक्त राशि उसे वापस किया जाना चाहिए ।

9. अनावेदकगण की ओर से श्री ए.पी. मिश्रा, कार्यपालन यंत्री ने इस आशय का समर्थन प्रस्तुत किया है कि आवेदक उपभोक्ता को दिनांक 20.10.12 को विद्युत प्रदाय सुचारू रूप से देना प्रारम्भ कर दिया गया है । इस शपथ–पत्र के खण्डन में आवेदक उपभोक्ता की ओर से कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

10. इस प्रकरण के आदेश पत्र दिनांक 12.10.12 के अनुसरण में दिनांक 22.10.12 को अनावेदक की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया था कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अनावेदक के मीटर पर विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । उपभोक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया था । अतः उपभोक्ता के परिसर में अनावेदक द्वारा सुचारू रूप से विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं है ।

11. आदेश पत्र में पारित आदेश दिनांक 12.10.12 के अनुसार कृषक राहत योजना के लाभ के संबंध में अनावेदक को जानकारी दिए जाने का निर्देश दिया गया था । उक्त आदेश के अनुसरण में दिनांक 02.03.13 को अनावेदक की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि अप्रैल, 2009 से ट्रांसफार्मर खराब हो गया था तथा 20.10.12 को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया था । अतः अप्रैल, 2009 से 20.10.12 की अवधि के जो बिल उपभोक्ता को दिए गए थे वह सभी निरस्त किए जा चुके हैं । नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद ही नए बिल दिए गए हैं । ऐसी स्थिति में जब विवादित बिल ही निरस्त किए जा चुके हैं उस स्थिति में किसान राहत योजना का पैसा उपभोक्ता को दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

14. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि आवेदक उपभोक्ता ने वस्तुतः सीधे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष कोई शिकायत नहीं की थी, अपितु उसने सहायक यंत्री से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 17.01.2007 के अनुसरण में कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया था । उसने विद्युत आपूर्ति न होने पर 2 लाख रू. प्रतिवर्ष फसल की क्षति होना बताया था । किसान राहत योजना का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया था तथा विद्युत संबंद्य अपने मीटर से जोड़ने का निवेदन किया था । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने उक्त शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत विद्युत बिलों को निरस्त किए जाने का, बिलों को पुनरीक्षित किए जाने का आदेश दिया था । अतः ऐसा आदेश किसी तरह से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

15. फोरम के समक्ष उपभोक्ता ने मुख्य रूप से जो शिकायत की थी वह यह थी :–

(1) उसे तत्काल सिंचाई करने के लिए बिजली प्रदान की जाए ।

(2) उसे किसान राहत योजना का लाभ दिया जाए ।

16. इसके पूर्व दिए गए विवरण के अनुसार आवेदक उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है तथा अप्रैल, 2009 से 2012 की अवधि के जो बिल उपभोक्ता को दिए गए थे वह निरस्त किए जा चुके हैं । किसान राहत योजना का पैसा उपभोक्ता को उसी अवधि के लिए दिया जाता है, जिस अवधि के लिए उसे विद्युत देयक जारी किए जाते हैं । इस मामलें में उपभोक्ता को जो विद्युत देयक जारी किए गए थे, उन्हें निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में अप्रैल, 2009 से 30.10.12 की अवधि के लिए यदि उपभोक्ता को किसान राहत योजना का लाभ मिलना चाहिए था, उस राशि को प्राप्त करने का उसे अधिकारी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उक्त अवधि में उपभोक्ता से कोई विद्युत प्रभार नहीं लिया गया है ।

17. उपभोक्ता ने फसल की नुकसानी का कोई अनुतोष फोरम से नहीं चाहा था, अतः फोरम द्वारा ऐसा अनुतोष न दिए जाने से अभ्यावेदन में उपभोक्ता ऐसे अनुतोष की मांग नहीं कर सकता है ।

18. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण पूर्ण रूप से किया जा चुका है । उपभोक्ता अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः उसका अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

19. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति नियमानुसार उभयपक्ष को दी जावे ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल